आज का विचार

खर्च तो असीमित होता है जितना करो उतना ही कम नजर आत है लेकिन खर्च के अनुपात है आमदनी नहीं हो तो खर्च में कटौती ही व्यवहार के समाधान होता है। **(शिवकुमार त्रिवेदी चिंतन सरिता)**

दैनिक लोकजीवन

सरकारी खर्चों में कटौती

कोरोना महामारी ने आम लोगों की ही नहीं सरकार की भी आर्थिक हालत खाता कर दी है यह स्वभाविक कि काम धन्धे ही बंद रहे है और अनलोक के बाद खुलने का सिलसिला चला तब भी बाजार की हालत जैसे तैसे रैंगने की है चलने की नहीं यदि बाजार हो गति नहीं पकड़ पाया तो सरकार की आय का स्त्रोत तो कर के रूप में जुटाया राजस्व ही है जबकि आम जनता संकट के दौर में सरकार से मदद की आशा रखती है एक तरफ सरकार को भी आमद तो कम हो रही लेकिन खर्च बढता ही जा रहा है जनता राज्य सरकार से उम्मीद करती है और राज्य के उसे अपेक्षा करती है कि विपदा काल में आर्थिक मदद करें परन्तु केंद्र सरकार की भी वहीं हालत है कि राजस्व प्राप्ती के मुकाबले खर्च अधिक हो रहा है यहीं कारण है कि केंद्र में जीएस टी के पेटे की जाने वाली क्षतिपूर्ति को कर्ज लेकर पूरा करने की सलाह दी है तो व्यापारियों उघोगपतियोंको बेंको की बकाया चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान की है कि डिफाल्टरों पर सख्ती नहीं बरती जाय हालांकि इस राहत कारी फैसले से अतिरिक्त समाधान मिल पायेगी। वहीं केंद्र व राज्य सरकारें लगातार प्रय त्न शील कि सभी वर्गो को संकट के इस दौर में अधिकतम राहत दी जा सके। राजस्थान सरकार भी कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही है कोरोना कोष के लिए मुख्यमंत्री विधायक सहित अधिकारियों के एक से सात दिन के वेतन की कटौती का अहम फैसला लिया गया। चूंकि सरकारी खर्च के अतिरिक्त कोरोना संकट पर खर्च बढा है लेकिन अन्य सरकारी खर्चों में कटौती का फैसला लिया गया। इसके तहत राज्य सरकार न तो नये वाहन खरीदेगह और नहीं नये कार्यालयों की स्थापना करेगी, राजकीय भोज नहीं लिए जो सकेंगे सरकारी अधिकारी केवल दूकानों भी में ही हवाई यात्रा करेंगे, विमान किराये पर लेना तथा सरकारी खर्च पर विदेश यात्राये पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर सरकारी खर्च में कटौती के लिए मित व्ययता परिपत्र जारी किया है। जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी की चुनौती का समाना करते हुए मेडिकल इंफ्रास्ट्रचर को मजबूत करने, प्रभावित वर्ग को सहायता प्रदान करने है आर्थि गतिविधियों में शिथिलता के कारण राजस्व में भारी कमी का देखते हुए वित्तिय प्रबंधन को बढ़ावा देना है ताकि सीमित संसाधनों से संकट की घंडी का आसानी से सामान्य किया जा सके। आवश्यकता इस बात की है कि मितव्ययता के मंत्र को सरकार है नहीं आम जन भी गंभीरता से ले ताकि पारिवारिक बजट को भी संतुलता रखा जा सके।

कड़वी घूंट -सूरज

कहीं तो सीमा रेखा...

मानवीय स्वभाव है कि जो मिल रहा है वह तो हमारा ही अधिकार हो गया, और इसके अलवा क्या कुछ ले सकते है इसके लिए दबाव बनाना शुरू कर देते है अर्थात हमें कही भी संतोष नहीं मिलता हर मौके पर अतिरिक्त हासिल करने के लिए जायज और नाजायज कोशिशे करने है भी नहीं चूकते, इसे अतिक्रमण नही कह सकते है क्योंकि जो हमारा है वह तो हमारा ही रहे साथ ही जो हमारा नहीं उसे भी हमारा बनाना चाहते है सीधे न मिले तो जबरन लेने की कोशिश भी।

विपरीत इसके शासन प्रशासन हो अथवा न्यायपालिका इनका प्रयास रहता है कि जनसाधारण को अधिक से अधिक राहत दी जाये और उसी अनुरूप फैसले भी लेने है लेकिन इनका भी नतीजा यही होता है कि अतिंम बिन्दु से आगे की मांग की जाने लगती है मानो किसी फैसले का ओर छोर ही नहीं है।हां ऐसा इसीलिए होता है कि हम अपनी मांग वहीं से आंरभ करते है जहां पूर्ण विराज लगा होता है इसक्रम में महिला सैन्य अफसरा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है कि हम मदद करना चाहते है लेकिन हमें कही तो एक सीमा रेखा खींचनी होगी, क्यों याचिका डेड लाईन से आगे की बात वाली है अब यहआपा जानो कि फैसला होने के बाद उससे आगे की मदद मांग ने वाले फैसले को बदलना ही चाहते है कि वह तो हमारा हक ही लेकिन इससे आगे भी राहत मिले।

एडी शर्मा के निधन एवं नोटिस प्रकरण की जांच कराने की मांग

लोकजीवन न्यूज सर्विस, शाहपुरा

समस्त ब्राह्मण समाज शाहपुरा की ओर से समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक पद पर कार्यरत शरद शर्मा की हार्ट अटेक से निधन के मामले में जांच की मांग है। इस अवसर पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा के तहसील अध्यक्ष व बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष दिनेश चंद्र व्यास, कांग्रेस के वरिष्ठ महामंत्री अशोक भारद्वाज ,गुर्जर गौड़ समाज के सुनील शर्मा ,दाधीच समाज के मनीष कुमार, महाविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष सुमित पारीक ,प्रांतीय गुर्जर गौड़ महासभा के मंत्री व बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ,भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज सुगंधी ,भाजपा उपाध्यक्ष पूर्व पार्षद नरेश व्यास, भाजपा युवा मोर्चा के प्रवीण सुखवाल ,राजस्थान ब्राह्मण महासभा के तहसील महामंत्री गोपाल राजगुरु, नगरपालिका उपाध्यक्ष व एडवोकेट नमन ओझा ,अधिवक्ता विवेक दाधीच पालीवाल सभा के प्रतिनिधि व सदस्य अधिवक्ता आशीष पालीवाल ,ब्लॉक कांग्रेस के प्रवक्ता अविनाश शर्मा ,जुगल किशोर व्यास ,मेवाड़ क्षेत्रीय ब्राह्मण महासभा एवं श्याम सेवा समिति के पंकज पाराशर, युवा हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष प्रफुल्ल शर्मा, युवा अधिवक्ता निखिल कुमार व्यास, सचिव अभिभाषक संस्था शाहपुरा व ब्राह्मण महासभा लसाडिया इकाई अध्यक्ष अधिवक्ता राहुल पारीक, युवा उद्यमी व ब्राह्मण महासभा युवा संगठन संयोजक अंकुर ओझा, अंकित सुवाल ,युवा पूर्व पार्षद सुभाष व्यास,कांग्रेस के पदाधिकारी आशीष भारद्वाज, जगदीश शर्मा, पवन पंचोली ,गौड़ समाज के संजय गौड़, सुनील शर्मा ,पारीक सभा के अतुल पारीक और औदिच्य समाज के अध्यक्ष व कांग्रेसी नेता अजय मेहता व सेवानिवृत्त व्याख्याता ओम शर्मा, ब्राह्मण महासभा के युवा नेता अभिनव शर्मा व अधिवक्ता व विधिक प्रकोष्ठ भाजपा अध्यक्ष अंकित शर्मा व शिवराज शर्मा सहित अन्य कई युवा व संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे।

बेखौफ हो रही बजरी की सप्लाई, चल रहे सरकारी निर्माण

बिजोलिया। कस्बा सहित आस पास के गांवों में भवन निर्माण के लिये इन दिनों भूमाफियाओं द्वारा बेखोफ होकर रेत की अवैध सप्लाई की जा रही है। इसकी एक बानगी कस्बे में स्थित सरकारी फिल्टर प्लांट के परिसर में चंबल परियोजना के तहत बन रहे सरकारी भवन में देखने को मिल रही है। यहां निर्मित होने वाले भवन का निर्माण खुलेआम सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेध की गई सैंड बजरी द्वारा किया जा रहा है। नियमों की पालना कराने वाला सरकारी महकमा खुद अवैध रेत की तस्करी का पनाहगाह बना हुआ है। फिल्टर प्लांट के परिसर में जगह जगह करीब 200 टन रेत के ढेर बने हुए हैं। जानकारों का कहना है कि कस्बे में अलसुबह ट्रेक्टर ट्रॉली और डंपर से रेत का अवैध कारोबार मिलीभगत से बदस्तूर जारी है। सूत्रों के अनुसार इस काम मे फर्जी रवन्ना बनाकर मांडलगढ़ त्रिवेणी से रेत लायी जाती है।

इनका कहना है

चंबल परियोजना के तहत यहां पंप हाऊस का निर्माण हो रहा है। बजरी के बारे में उनको कुछ पता नही।

सर्वेश चौधरी,एईएन, जलदाय विभाग, मांडलगढ़

रंजन पोलिस्टर्स लिमिटेड

कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर (सीआईएन): L24302RJ1990PLC005560
पंजीकृत कार्यालय 11-12TH, की. मी. स्टोन, चित्तौड़गढ़ रोड, गुवारड़ी, भीलवाड़ा -311001(राजस्थान), इंडिया, वेबसाइट:-www.ranjanpolysters.com
फोन न.01482-320925,26,27,249095, ई-मेल: ranjanpoly@gmail.com

30वीं वार्षिक साधारण सभा रिमोट ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की30 वीं वार्षिक साधारण सभा(एजीएम) बुधवार, 30 सितंबर, 2020 को दोपहर 04:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 11-12TH, की. मी. स्टोन, चित्तौड़गढ़ रोड, गुवारड़ी, भीलवाड़ा -311001(राजस्थान)में आयोजित होना निश्चित की गयी है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 सहपठित परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 जिसको SEBI द्वारा जारी किया गया की अनुपालना में 30वीं वार्षिक साधारण का एजीएम नोटिस एवं ई-वोटिंग से सम्बंधित विस्तृत निर्देश व जानकारी के साथ ही वितीय वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कंपनी /आरटीऐ/डेपोजिटरी के पास पंजीकृत है, ई-मेल द्वारा भेजी गयी है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम का नोटिस ई-मेल 4 सितंबर, 2020 तक प्रेषित कर चुके है। एजीएम की सार्वजनिक सूचना एवं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 कंपनी की वेबसाइट www.ranjanpolysters.com और और एमएसइ आई लिमिटेड की वेबसाइट www.msei.in से डाउनलोड कर सकते है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएँ) नियमावली, 2015 की नियमावली 44 के अनुपालन में, सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के मंच के द्वारा कंपनी की 30 वीं वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित सभी व्यापारिक लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान की गयी है । सदस्य, आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य जगह (रिमोट ई-वोटिंग) से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का उपयोग करके वोट दे सकते है । रिमोट ई-वोटिंग सुविधा रविवार, 27 सितम्बर, 2020 प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी तथा मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 सायं 5.00 बजे समाप्त होगी । इस समय और दिनांक के अलावा को ई-वोटिंग स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिन व्यक्तियों का नाम अंतिम तारीख 23 सितंबर, 2020 को सदस्यो अथवा लाभकारी मालिको के रजिस्टर में है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ वोटिंग सुविधा को अधिकृत कर सकते है। सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट दिया है वे भी सभा में सम्मिलित हो सकते है लेकिन वापस सभा में वोट देने का अधिकार नही है।

सूचना के प्रेषण के बाद वे व्यक्ति जिनके पास कंपनी के शेयर एवं सदस्य है उन्हें रिमोट ई-वोटिंग के लिए यूजरआई. डी. तथा पासवर्ड कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांस्फर, जेंट, मेसर्स बीटल फाइनेंसियल और कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, बी एच - लोकल शॉपिंग काम्प्लेक्स, दादा हरसुख दास मंदिर के समीप, न्यू दिल्ली - 110062 द्वारा प्राप्त होंगे। यूजर आई.डी.और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है ।

वार्षिक साधारण सभा में मतपत्र द्वारा मतदान उन सदस्यो को उपलब्ध है जो इस सभा में सम्मिलित है तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नही दिया है। ई- वोटिंग के परिणाम कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में अथवा बाद में घोषित किया जायेगा। सदस्यो की सूचना के लिए संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट को सूचित किया जायेगा। ई-वोटिंग से सम्बंधित कोई प्रश्न अथवा मामलों को www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग के पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा ई-वोटिंग मार्गदर्शक अथवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिखकर भेज सकते है। हेल्पडेस्क के टोल फ्री नंबर 1800-200-5533 द्वारा भी संपर्क किया जा सकता है। कृपया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में श्रीमान राकेश दलवी, मेनेजर, सीडीएसएल, ए-विंग, 25वी मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मील कंपाउंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअरपारेल (ईस्ट), मुम्बई -400013, ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com, हेल्पडेस्क नंबर 022-23058542/43 पर संपर्क करे।

आगे की सूचना एतद द्वारा दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएँ) नियमावली, 2015 की नियमावली 42 के अनुसार कंपनी के सदस्यो के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स गुरूवार 24, सितंबर, 2020 से बुधवार 30, सितंबर 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

बोर्ड की आज्ञानुसार
रंजन पोलिस्टर्स लिमिटेड के द्वारा
Sd/-
(महेश कुमार भीमसरिया)
प्रबंध संचालक
DIN-00131930

दिनांक - 5 सितंबर, 2020
स्थान - भीलवाड़ा

न्यूटेक ग्लोबल लिमिटेड

कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर (सीआईएन): L17114RJ1984PLC003023 पंजीकृत कार्यालय : ई-149, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, भीलवाड़ा-311001, राजस्थान, इंडिया फोन : +91 1482 260508,
ई-मेल : info@nutechglobal.com, वेबसाइट : www.nutechglobal.com

36वीं वार्षिक साधारण सभा रिमोट ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 36वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 30 सितंबर, 2020 को प्रातः 11:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय E-149, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, भीलवाड़ा-311001 (राजस्थान) में आयोजित होना निश्चित की गयी है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 सहपठित परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 जिसको SEBI द्वारा जारी किया गया की अनुपालना में 36वीं वार्षिक साधारण का एजीएम नोटिस एवं ई-वोटिंग से सम्बंधित विस्तृत निर्देश व जानकारी के साथ ही वितीय वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कंपनी/आरटीऐ/डेपोजिटरी के पास पंजीकृत है, ई-मेल द्वारा भेजी गयी है । वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम का नोटिस ई-मेल 4 सितंबर, 2020 तक प्रेषित कर चुके है। एजीएम की सार्वजनिक सूचना एवं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 कंपनी की वेबसाइट www.nutechglobal.com, और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएँ) नियमावली, 2015 की नियमावली 44 के अनुपालन में, सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के मंच के द्वारा कंपनी की 36 वीं वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित सभी व्यापारिक लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान की गयी है। सदस्य, आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य जगह (रिमोट ई-वोटिंग) से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का उपयोग करके वोट दे सकते है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा रविवार, 27 सितम्बर, 2020 प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी तथा मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 सायः 5.00 बजे समाप्त होगी। इस समय और दिनांक के अलावा कोई ई-वोटिंग स्वीकार नही की जाएगी।

जिन व्यक्तियों का नाम अंतिम तारीख 23 सितंबर, 2020 को सदस्यो अथवा लाभकारी मालिको के रजिस्टर में है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ वोटिंग सुविधा को अधिकृत कर सकते है। सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट दिया है वे भी सभा में सम्मिलित हो सकते है लेकिन वापस सभा में वोट देने का अधिकार नही है।

सूचना के प्रेषण के बाद वे व्यक्ति जिनके पास कंपनी के शेयर एवं सदस्य है उन्हें रिमोट ई-वोटिंग के लिए यूजर आई. डी. तथा पासवर्ड कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेंट, मेसर्स बीटल फाइनेंसियल और कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 'बीटल हाउस' तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, बी एच - लोकल शॉपिंग काम्प्लेक्स, दादा हरसुखदास मंदिर के समीप, न्यू दिल्ली - 110062 द्वारा प्राप्त होंगे। यूजर आई.डी. और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdsl india.com पर उपलब्ध है।

वार्षिक साधारण सभा में मतपत्र द्वारा मतदान उन सदस्यो को उपलब्ध है जो इस सभा में सम्मिलित है तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नही दिया है। ई वोटिंग के परिणाम कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में अथवा बाद में घोषित किया जायेगा। सदस्यो की सूचना के लिए संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट तथा स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जायेगा।

ई-वोटिंग से सम्बंधित कोई प्रश्न अथवा मामलों को www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग के 'पूछे जाने वाले प्रश्न' (FAQ) तथा ई-वोटिंग मार्गदर्शक अथवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com और आप श्रीमान नितिन कुंदेर (022- 23058738), श्रीमान मेहबूब लखानी (022-23058543) और श्रीमान राकेश दलवी (022-23058542) पर सम्पर्क सकते है। हेल्पडेस्क के टोल फ्री नंबर 1800 - 280 - 5533 द्वारा भी संपर्क किया जा सकता है। कृपया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में श्रीमान राकेश दलवी, मेनेजर, सीडीएसएल, ए-विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मील कंपाउंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर पारेल (ईस्ट), मुम्बई-400013, ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com, हेल्प डेस्क नंबर 022-23058542143 पर संपर्क करे।

आगे की सूचना एतद्वारा दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएँ) नियमावली, 2015 की नियमावली 42 के अनुसार कंपनी के सदस्यो के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स गुरूवार 24, सितंबर, 2020 से बुधवार 30, सितंबर 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

बोर्ड की आज्ञानुसार न्यूटेक ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा
Sd/
(राजीव मुखीजा)
प्रबंध संचालक

दिनांक: 4 सितंबर, 2020
स्थान: भीलवाड़ा